निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

समक्ष श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 83/2017 दिनांक:–7/9/17

उपस्थान:–

1– दिनेश पिता रामलाल जी जाति जाट निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी राज0
2– संतोष पुत्री रामलाल जी जाति जाट पत्नि श्री शिवनारायण जाट निवासी सूबी हाल0 ग्राम कुण्डला तह0 जावद म0प्र0
3– राजूबाई पुत्री रामलाल जी जाति जाट पत्नि श्री धर्मसिंह जाट निवासी सूबी हाल0 रूपजी का खेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4– शांतिबाई पुत्री रामलाल जी जाति जाट पत्नि कन्हैयालाल जी जाट निवासी सूबी हाल0 जलोदिया केलुखेडा तह0 छोटीसादडी राज0

——वादीगण

:: बनाम ::

1– शंकरलाल पिता घमण्डीराम जी जाति जाट निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी राज0
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–209 रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :–

1– वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सूबी प0ह0 सूबी तह0 छोटीसादडी में साबिक आराजी नं0 862/742 रकबा 2 बीघा व आराजी नं0 863/784 रकबा 3 बीघा रेवेन्यु रिकार्ड में दल्ला पिता अमरा बंजारा देह रहीन घमण्डीराम पिता चुन्नीलाल जाट के नाम दर्ज थी। घमण्डीराम व वादीगण के पिता रामलाल जी सगे भाई थे व शामिल शरीक रहते थे। बडे घमण्डीराम थे इस कारण उनके नाम यह आराजी रहन रखी पर कब्जा दोनों भाईयों का घमण्डीराम व रामलाल का था तथा इसके बाद उक्त आराजी दोनों भाईयों ने दल्ला पिता अमरा बंजारा से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 22–3–1969 को बिल एवज 1000/– रूपये में क्रय कर ली सिबूत में नकल जमाबन्दी पेश हैं व बयनामा की फोटो कॉपी पेश हैं। बयनामा में लिखतम कराते सहमय सेवन से आराजी नम्बर 862/742 रकबा 2 बीघा व 863/784 रकबा 3 बीघा के बजाय 689/784 पर दोनों भाई काबिज काश्त थे व क्रय की थी वादीगण के पिता स्व0 रामलाल जी व प्रतिवादी नं0 एक शंकरलाल ने गोदी पिता घमण्डीराम जी यानि दोनों भाई आराजी नम्बर की जमीन पर शामिल शरीक काश्त करते आ है थे दोनों भाईयों ने खरीदशुदा आराजी का इन्तकाल खोलने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सूबी में आवेदन पेश किया व असल रजिस्ट्री की मांग करने पर भी नहीं दी गई पर पटवारी सरपंच साहब से रजिस्ट्री इधर उधर हो गयी व नहीं मिलने से पटवारी द्वारा खोले गये नामान्तरणकरण दिनांक 16–2–1972 को दिनांक 18–5–73 को सरपंच द्वारा इन्तकाल कोरम में पेश हुआ। खरीददार ने रजिस्ट्री पेश

काबुदा आराजी आपके ही कब्जे हैं इन्तकाल नम्बर 174 की नकल वाद पत्र के साथ पेश हैं।

2— कि इसके बाद छोटीसादडी तहसील का पेमाईशी कार्य हुआ इस दरमियान घमण्डीराम पिता चुन्नीलाल जी का देहान्त हो गया। सेटलमेन्ट वालो ने साबिक आराजी नम्बर 872/742 रकबा 2 बीघा व आराजी नं0 863/784 रकबा 3 बीघा के नये आराजी नम्बर 1133 रकबा 1.27 हैक्टेयर बयाने गये।. आराजी दल्ला पिता अमरा बंजारा, मु0 इन्द्राबाई बेवा घमण्डीराम जी जाट सा0दे0 खातेदार के नाम कर दी गयी जबकि दल्ला पिता अमरा बंजारा का लाऔलाद काफल साल पूर्व देहान्त हो गया था तथा वादग्रस्त आराजी नम्बर 1133 पर वादीगण के पिता रामलाल जी का देहान्त हो जाने से उक्त आराजी सम्पूर्ण पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर एक शंकरलाल गोदी पिता घमण्डीराम जाट का करीब 60 साल से निरन्तर साधिकार कब्जा चला आ रहा हैं व एडवर्स पजेशन के आधर पर भी हम खातेदार काश्तकार हो गये हैं। आराजी नं0 1133 रकबा 1.27 हैक्टैयर हम वादीगण अपने नाम व प्रतिवादी नम्बर एक शंकरलाल गोदी पिता घमण्डीराम जाट के नाम के साथ खातेदारी घोषित करा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं जिस बावत यह वाद पेश हैं।

3— कि वादीगण ने दो माह पूर्व प्रतिवादीगण शंकरलाल को व तहसीलदार साहब को वादग्रस्त आराजीयात दल्ला पिता अमरा का नाम हटाकर वादीगण का नाम दर्ज कराने की कहा तो शंकरलाल ने साथ रहकर सहयोग करने की बात कही व तहसीलदार साहब व हल्का पटवारी आदि ने पुराने खेत की नकलें व ई नकलें प्राप्त कर श्रीमान् के यहॉ वाद पेश करने की सलाह देने पर आज उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश हैं। दल्ला पिता अमरा बंजारा काफी साल पूर्व लाऔलाद फौत हो गया था उसका नाम खाते से विलोपित किया जाना जरूरी हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या एक ने स्वयं उपस्थित होकर दावे की डिक्री कर देने पर उसे कोई आपत्ति नहीं हैं यह अंकित करा हस्ताक्षर किये हैं।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के पिता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय के वादग्रस्त आराजी क्रय की हैं तथा उक्त आराजीयात पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित हो वाद डिक्री कर दिये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा सूबी के खसरा नंबर 1133 रकबा 1.27 हैक्टेयर में से दल्ला पिता अमरा बंजारा का नाम विलोपित किया जाकर उसके बजाय वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे शेष बदस्तुर रखा जावे। आराजी वादीगण के सहस्वामित्व आधिपत्य की घोषित की जाती हैं। तहसीलदार छोटीसादडी

में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07-9-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.9.17

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ